

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रति का नाम	खता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
अल्मपुरा	284	मीनाराम पुत्र देवाराम त्रानि वट शाठ देह खातेदार	498 किता 4	6.87	मीनाराम पुत्र देवाराम त्रानि शाठ देह खातेदार	498 किता 4	6.87

क्रमांक :- 774
591

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- उप तहसीलदार, मौलासर

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

(Signature)
रिजिस्टर प्रणाली

(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
PCKSA-2021, प.स. मौलासर

दिनांक :- 8/11/21

(Signature)
रिजिस्टर प्रणाली

(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
PCKSA-2021, प.स. मौलासर

दिनांक :-

(Signature)
उप तहसीलदार, मौलासर
राज. भवन, मौलासर (प.स.) मौलासर
जिला नागौर (राज.)